Nehru School Management Journal (NSMJ)
Volume No: 12, Issue No: 2, Year: 2025
PP: 43-53

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

# भारतीय संविधान, महिला अधिकार और डॉ. अम्बेडकर का न्यायवादी दृष्टिकोण: इक्कीसवीं सदी के संदर्भ में एक अध्ययन

**शिल्पा कुमारी**
शोधार्थी,
विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

## सारांश

यह शोध-पत्र भारतीय संविधान में निहित महिला अधिकारों और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के न्यायवादी दृष्टिकोण का इक्कीसवीं सदी के संदर्भ में विश्लेषण करता है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों, संवैधानिक प्रावधानों, सरकारी रिपोर्टों, संसदीय आँकड़ों तथा अम्बेडकर के लेखन और भाषणों पर आधारित है। शोध का केंद्रीय तर्क यह है कि भारतीय संविधान में महिला अधिकारों की संरचना केवल औपचारिक समानता पर आधारित नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिक न्याय, सकारात्मक संरक्षण, गरिमा, श्रम-सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और न्याय-प्रवेश की व्यापक दृष्टि निहित है। डॉ. अम्बेडकर का न्यायवादी दृष्टिकोण स्त्री को केवल संरक्षण की पात्र नहीं मानता, बल्कि उसे स्वतंत्र, समान और अधिकार-संपन्न नागरिक के रूप में स्थापित करता है। इक्कीसवीं सदी में महिला शिक्षा, श्रम-भागीदारी, वित्तीय समावेशन और राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है, परंतु लैंगिक हिंसा, प्रतिनिधित्व की कमी, आर्थिक असुरक्षा, डिजिटल उत्पीड़न, संपत्ति-अधिकार की कमजोरी और न्याय-प्रवेश की सीमाएँ अब भी गंभीर चुनौतियाँ हैं। निष्कर्षतः, महिला अधिकारों की वास्तविक पूर्ति के लिए अम्बेडकरवादी संवैधानिक नैतिकता को कानून, नीति और सामाजिक व्यवहार—तीनों स्तरों पर लागू करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: भारतीय संविधान, महिला अधिकार, डॉ. अम्बेडकर, न्यायवादी दृष्टिकोण, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, इक्कीसवीं सदी।

## 1. प्रस्तावना

भारतीय संविधान आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक नागरिकता और मानवीय गरिमा का सबसे महत्त्वपूर्ण विधिक-राजनीतिक दस्तावेज है। इसमें महिला अधिकारों को केवल संरक्षण या कल्याण के रूप में नहीं, बल्कि समान नागरिकता और सामाजिक न्याय के आधार पर स्थापित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 39 और 42 महिलाओं के समान अधिकार, भेदभाव-निषेध, अवसर-समानता, गरिमापूर्ण जीवन, समान वेतन और मातृत्व-सहायता से जुड़े महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं [1], [10]। भारत सरकार के महिला-संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के संक्षेप में भी यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान महिलाओं को समानता देने के साथ-साथ राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक उपाय करने की शक्ति भी देता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान-निर्माण में सामाजिक न्याय को केवल विधिक सिद्धांत नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्गठन का कार्यक्रम माना। उनके लिए राजनीतिक लोकतंत्र तभी सार्थक है जब वह


© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

सामाजिक लोकतंत्र से जुड़ा हो, और सामाजिक लोकतंत्र का आधार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है [2]। अम्बेडकर का यह दृष्टिकोण महिला अधिकारों के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति जाति, पितृसत्ता, धर्म, परिवार, संपत्ति-संबंध और श्रम-विभाजन से निर्मित होती रही है [3], [4]। इसलिए महिला अधिकारों को केवल कानूनी समानता से नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना के लोकतंत्रीकरण से जोड़कर समझना आवश्यक है।

अम्बेडकर ने स्त्री-प्रश्न को निजी जीवन की समस्या नहीं माना। हिंदू कोड बिल पर उनका हस्तक्षेप विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति और दत्तक ग्रहण जैसे पारिवारिक प्रश्नों को संवैधानिक समानता के दायरे में लाने का प्रयास था [9]। शर्मिला रेगे ने अम्बेडकर के लेखन को ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की आलोचना के रूप में पढ़ते हुए बताया है कि अम्बेडकर स्त्री-विमर्श को जाति-संरचना से अलग नहीं देखते [5]। शैलजा पैक का अध्ययन भी दिखाता है कि दलित महिलाओं के लिए शिक्षा और अधिकार-बोध जाति और लिंग दोनों प्रकार की वंचना से संघर्ष का साधन बना [6]।

इक्कीसवीं सदी में भारत में महिलाओं की स्थिति में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। उच्च शिक्षा, वित्तीय समावेशन और श्रम-भागीदारी में वृद्धि हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी दर 40.0% और कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात 38.8% रहा [14]। फिर भी यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या आर्थिक भागीदारी स्त्री की वास्तविक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षा और निर्णय-क्षमता में बदल रही है?

राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में भी चुनौती स्पष्ट है। 18वीं लोकसभा में कुल 543 सदस्यों में 74 महिलाएँ निर्वाचित हुईं, अर्थात् लगभग 13.6% प्रतिनिधित्व [12]। यह स्थिति बताती है कि महिला मतदाता के रूप में स्त्री की उपस्थिति मजबूत हुई है, परंतु निर्णयकारी प्रतिनिधि के रूप में उसकी भागीदारी अभी भी सीमित है। संविधान का 106वाँ संशोधन, 2023 महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है [11]। आधिकारिक राजपत्र के अनुसार यह अधिनियम 28 सितंबर 2023 को पारित हुआ और इसके लागू होने की प्रक्रिया अधिसूचना तथा संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ी है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी संवैधानिक अधिकार और सामाजिक यथार्थ के बीच की दूरी को उजागर करती है। NCRB 2023 के आँकड़ों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 4,48,211 मामले दर्ज हुए, अपराध दर 66.2 प्रति लाख महिला आबादी रही और चार्जशीट दर 77.6% थी [13]। यह स्थिति दिखाती है कि विधिक अधिकारों की उपलब्धता के बावजूद महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा कई स्तरों पर बाधित है।

## 2. अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य हैं—

1. भारतीय संविधान में महिला अधिकारों की संरचना का विश्लेषण करना;
2. डॉ. अम्बेडकर के न्यायवादी दृष्टिकोण को महिला अधिकारों के संदर्भ में समझना;


© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

3. इक्कीसवीं सदी में महिला अधिकारों की प्रमुख उपलब्धियों और चुनौतियों का द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर अध्ययन करना;
4. राजनीतिक प्रतिनिधित्व, श्रम-भागीदारी, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और सुरक्षा से जुड़े संकेतकों की व्याख्या करना;
5. अम्बेडकरवादी संवैधानिक नैतिकता के आधार पर महिला अधिकारों को मजबूत करने हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

## 3. शोध-प्रविधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्रमुख स्रोतों में भारतीय संविधान, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के लेखन और भाषण, हिंदू कोड बिल संबंधी सामग्री, संविधान संशोधन, PRS Legislative Research, NCRB, PLFS, NFHS-5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, AISHE, UDISE+ और सामाजिक न्याय तथा लैंगिक समानता से संबंधित प्रामाणिक अकादमिक साहित्य शामिल हैं।

अध्ययन में तीन सरल सांख्यिकीय संकेतकों का उपयोग किया गया है। पहला, प्रतिनिधित्व-अंतर; दूसरा, प्रतिशत-बिंदु परिवर्तन; तीसरा, संकेतक-आधारित तुलनात्मक विश्लेषण। लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व-अंतर की गणना इस प्रकार की गई है:

प्रतिनिधित्व-अंतर = एक-तिहाई प्रतिनिधित्व लक्ष्य − वर्तमान महिला प्रतिनिधित्व

वर्तमान महिला प्रतिनिधित्व 13.6% और एक-तिहाई लक्ष्य 33.3% मानने पर प्रतिनिधित्व-अंतर लगभग 19.7 प्रतिशत-बिंदु है। कुल 543 सीटों के आधार पर एक-तिहाई प्रतिनिधित्व के लिए लगभग 181 महिला सदस्यों की आवश्यकता होगी। वर्तमान 74 महिला सदस्यों की तुलना में यह लगभग 107 अतिरिक्त महिला प्रतिनिधियों की आवश्यकता को दर्शाता है।

## 4. भारतीय संविधान में महिला अधिकारों की संरचना

भारतीय संविधान में महिला अधिकारों की संरचना बहुआयामी है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15(1) राज्य को लिंग के आधार पर भेदभाव से रोकता है, जबकि अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है [1], [10]। यह व्यवस्था औपचारिक समानता और वास्तविक समानता के बीच अंतर को स्वीकार करती है। अर्थात् संविधान यह मानता है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को समान स्तर पर लाने के लिए सकारात्मक नीतियाँ आवश्यक हैं।

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर-समानता को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गरिमा के साथ जोड़ता है। अनुच्छेद 39(a) पुरुष और महिला दोनों को पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन की दिशा देता है [1], [10]। अनुच्छेद 42 राज्य को मानवीय कार्य-दशाएँ और मातृत्व-सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। इस प्रकार संविधान महिला अधिकारों को केवल नागरिक


© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

अधिकार तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें श्रम, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और मातृत्व से जोड़ता है।

संविधान का 106वाँ संशोधन महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नया संवैधानिक आधार देता है। इस संशोधन के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है [11]। आधिकारिक राजपत्र में संशोधन से संबंधित प्रावधानों को प्रकाशित किया गया है। यह संशोधन भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की निर्णयकारी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक है, परंतु इसका वास्तविक प्रभाव समयबद्ध क्रियान्वयन और राजनीतिक दलों की आंतरिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा।

## 5. डॉ. अम्बेडकर का न्यायवादी दृष्टिकोण

डॉ. अम्बेडकर का न्यायवादी दृष्टिकोण तीन मूल तत्वों पर आधारित है—समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। वे न्याय को केवल अदालत या कानून का विषय नहीं मानते थे, बल्कि उसे समाज की संरचना, संसाधनों के वितरण, सम्मान की उपलब्धता और प्रतिनिधित्व से जोड़कर देखते थे [2], [3]। उनके लिए राजनीतिक लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं था; वह तभी सफल हो सकता था जब सामाजिक जीवन में भी समानता और गरिमा स्थापित हो।

अम्बेडकर ने जाति-व्यवस्था को सामाजिक न्याय के सबसे बड़े अवरोधों में माना। Annihilation of Caste में उन्होंने जाति को स्वतंत्रता और बंधुत्व के विरुद्ध संरचना बताया [3]। Castes in India में उन्होंने जाति-व्यवस्था के पुनरुत्पादन में अंतर्विवाह और स्त्री-नियंत्रण की भूमिका का विश्लेषण किया [4]। इसलिए अम्बेडकरवादी दृष्टि में महिला अधिकारों का प्रश्न जाति-विरोधी संघर्ष से जुड़ा हुआ है। यदि स्त्री की विवाह-स्वतंत्रता, शिक्षा, संपत्ति और श्रम पर नियंत्रण बना रहता है, तो सामाजिक लोकतंत्र अधूरा रहता है।

गेल ऑम्वेट ने अम्बेडकर को आधुनिक भारत के प्रबोधनवादी और समानतावादी चिंतन का प्रमुख स्रोत माना है [7]। एलिनॉर ज़ेलियट ने अम्बेडकर आंदोलन को शिक्षा, आत्मसम्मान और सामाजिक गतिशीलता से जोड़ा है [8]। ये दोनों अध्ययन बताते हैं कि अम्बेडकरवादी न्याय-दृष्टि व्यक्ति को सामाजिक पहचान की कैद से मुक्त कर नागरिकता की समान स्थिति में लाना चाहती है। महिला अधिकार इसी प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा हैं।

हिंदू कोड बिल पर अम्बेडकर का संघर्ष उनके न्यायवादी दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने पारिवारिक कानून को निजी या धार्मिक क्षेत्र मानकर छोड़ देने से इनकार किया। विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े प्रश्नों को उन्होंने स्त्री-स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से जोड़ा [9]। इस दृष्टि से अम्बेडकर का न्यायवाद केवल सार्वजनिक कानून तक सीमित नहीं, बल्कि निजी जीवन के लोकतंत्रीकरण की भी माँग करता है।

## 6. इक्कीसवीं सदी में महिला अधिकारों की प्रमुख उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

इक्कीसवीं सदी में महिला अधिकारों के क्षेत्र में कई सकारात्मक उपलब्धियाँ दिखाई देती हैं। महिला शिक्षा में वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 2014-15 के 1.57 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हुआ और महिला GER 22.9


© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

से बढ़कर 28.5 पहुँचा [16]। शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक विवरण में भी महिला उच्च शिक्षा नामांकन में लगभग 32% वृद्धि दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लैंगिक समावेशन को शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है और Gender Inclusion Fund का प्रस्ताव किया है [15]। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यह कोष विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित है। UDISE+ 2024-25 विद्यालयी शिक्षा की संरचना, नामांकन और अवसंरचना से संबंधित अद्यतन आँकड़े उपलब्ध कराता है, जिनका उपयोग लैंगिक अंतर की निगरानी के लिए किया जा सकता है [17]।

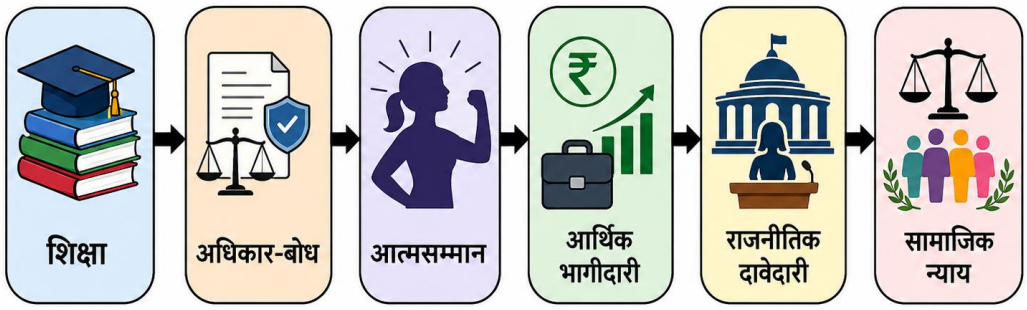


चित्र 2: महिला शिक्षा और अधिकार-क्षमता का संबंध

आर्थिक क्षेत्र में महिला श्रम-बल भागीदारी में वृद्धि सकारात्मक संकेत है। PLFS 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की LFPR 40.0% और WPR 38.8% रही [14]। परंतु यह वृद्धि सावधानी से पढ़ी जानी चाहिए। यदि महिला श्रम अनौपचारिक, कम वेतन, असुरक्षित या अवैतनिक पारिवारिक कार्य में केंद्रित है, तो आर्थिक भागीदारी वास्तविक आत्मनिर्भरता में पूरी तरह नहीं बदलती। अमर्त्य सेन ने विकास को स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में समझा है [18], जबकि मार्था नुसबाम ने महिला विकास को वास्तविक क्षमताओं के निर्माण से जोड़ा है [19]। इस दृष्टि से महिला श्रम-भागीदारी का मूल्य तभी है जब वह जीवन-विकल्प, आय-नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा में बदले।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चुनौती अब भी गंभीर है। 18वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 13.6% है [12]। यह प्रतिनिधित्व भारतीय जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी की तुलना में काफी कम है। संविधान का 106वाँ संशोधन इस कमी को दूर करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, लेकिन आरक्षण का वास्तविक प्रभाव तभी होगा जब महिलाएँ केवल सीटें भरने वाली प्रतीकात्मक उपस्थिति न बनकर नीति-निर्माण, बजट, दलगत नेतृत्व और संसदीय समितियों में निर्णायक भूमिका निभाएँ।


© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

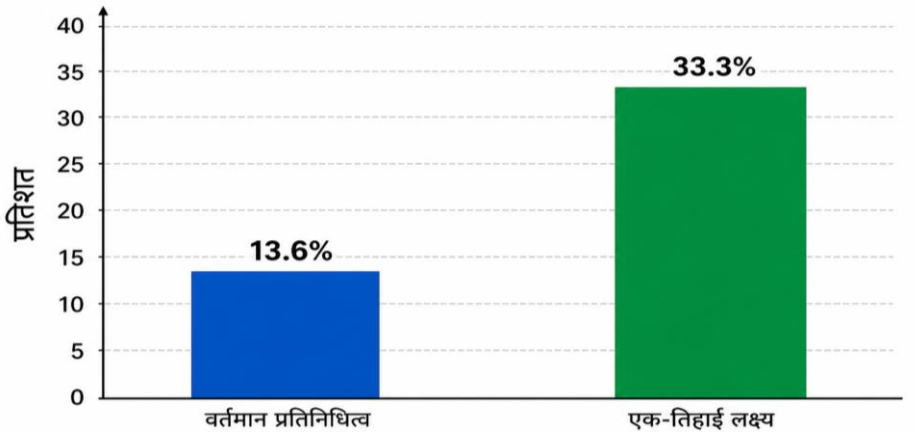


चित्र 3: लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व बनाम एक-तिहाई लक्ष्य

महिलाओं के विरुद्ध अपराध महिला अधिकारों की सबसे कठोर चुनौती है। NCRB 2023 के अनुसार 4,48,211 मामले महिलाओं के विरुद्ध अपराध के रूप में दर्ज हुए और अपराध दर 66.2 प्रति लाख रही [13]। यह आँकड़ा केवल दर्ज मामलों को दिखाता है; वास्तविक हिंसा इससे अधिक हो सकती है क्योंकि घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और पारिवारिक हिंसा के अनेक मामले सामाजिक दबाव या न्याय-प्रक्रिया की जटिलता के कारण दर्ज नहीं हो पाते।

NFHS-5 महिलाओं के स्वास्थ्य, बैंकिंग पहुँच, निर्णय-क्षमता और घरेलू हिंसा जैसे संकेतकों को समझने का महत्त्वपूर्ण स्रोत है [20]। NFHS-5 की राष्ट्रीय रिपोर्ट महिलाओं के सामाजिक और पारिवारिक जीवन से जुड़े ऐसे संकेतक देती है जिनसे अधिकारों की वास्तविक स्थिति को समझा जा सकता है। महिला वित्तीय समावेशन में सुधार महत्वपूर्ण है, परंतु बैंक खाते की उपलब्धता तभी वास्तविक आर्थिक अधिकार बनेगी जब महिला उस खाते का स्वतंत्र उपयोग कर सके।

## 7. परिणाम एवं आँकड़ा-विश्लेषण

तालिका 1: महिला अधिकारों से जुड़े प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

| संवैधानिक प्रावधान | विषय | महिला अधिकारों से संबंध |
|---|---|---|
| अनुच्छेद 14 | विधि के समक्ष समानता | महिला को समान नागरिक दर्जा |
| अनुच्छेद 15(1) | लिंग-आधारित भेदभाव निषेध | भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा |
| अनुच्छेद 15(3) | महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान | सकारात्मक संरक्षण का आधार |
| अनुच्छेद 16 | सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर | सरकारी सेवाओं में लैंगिक समानता |
| अनुच्छेद 21 | जीवन और गरिमा | सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन का आधार |
| अनुच्छेद 39(d) | समान कार्य के लिए समान वेतन | आर्थिक न्याय का नीति-निर्देशक तत्व |
| अनुच्छेद 42 | मातृत्व सहायता | श्रम-सुरक्षा और मातृत्व संरक्षण |


© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

स्रोत: भारतीय संविधान और महिला संबंधी संवैधानिक प्रावधान [1], [10]।

तालिका 2: इक्कीसवीं सदी में महिला अधिकारों के चयनित संकेतक

| संकेतक | नवीनतम उपलब्ध मान | विश्लेषणात्मक अर्थ |
|---|---|---|
| 18वीं लोकसभा में महिला सांसद | 74/543 | प्रतिनिधित्व अभी सीमित |
| महिला प्रतिनिधित्व | 13.6% | एक-तिहाई लक्ष्य से काफी कम |
| एक-तिहाई लक्ष्य | 33.3% | संवैधानिक प्रतिनिधित्व की दिशा |
| प्रतिनिधित्व-अंतर | 19.7 प्रतिशत-बिंदु | लोकतांत्रिक असंतुलन |
| महिला LFPR, 15+ | 40.0% | आर्थिक भागीदारी में वृद्धि |
| महिला WPR, 15+ | 38.8% | कार्यरत महिलाओं की दृश्यता |
| महिलाओं के विरुद्ध अपराध | 4,48,211 | सुरक्षा और न्याय की चुनौती |
| अपराध दर | 66.2 प्रति लाख | सामाजिक असुरक्षा का संकेत |

स्रोत: PRS, PLFS और NCRB [12]–[14]।

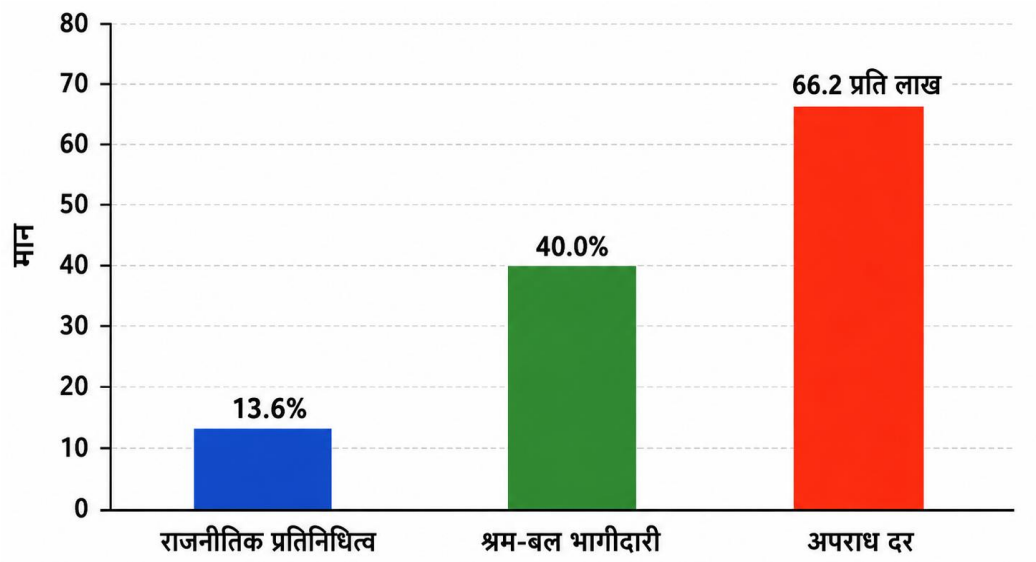


चित्र 4: महिला अधिकारों के तीन समकालीन संकेतक

तालिका 3: अम्बेडकरवादी न्याय-दृष्टि से महिला अधिकारों की स्थिति

| आयाम | संवैधानिक आधार | वर्तमान प्रगति | प्रमुख चुनौती |
|---|---|---|---|
| शिक्षा | अनुच्छेद 21A, NEP 2020 | उच्च शिक्षा में महिला नामांकन वृद्धि | गुणवत्ता और रोजगार-परिणाम |
| समानता | अनुच्छेद 14, 15 | विधिक समानता स्थापित | सामाजिक पितृसत्ता |


© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| राजनीतिक प्रतिनिधित्व | 106वाँ संशोधन | एक-तिहाई आरक्षण की दिशा | क्रियान्वयन और दलगत संरचना |
| आर्थिक अधिकार | अनुच्छेद 16, 39(d) | LFPR में वृद्धि | वेतन, सुरक्षा और औपचारिकता |
| गरिमा और सुरक्षा | अनुच्छेद 21 | कानूनों का विस्तार | हिंसा और न्याय-प्रवेश |
| सामाजिक न्याय | अनुच्छेद 15(3) | सकारात्मक नीति की वैधता | अंतर्विभेदी असमानताएँ |

## 8. चर्चा: अम्बेडकरवादी संवैधानिक नैतिकता और महिला अधिकार

डॉ. अम्बेडकर का न्यायवादी दृष्टिकोण आज इसलिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि वह अधिकारों को केवल कानून की भाषा में नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार की कसौटी पर परखता है। यदि संविधान महिलाओं को समानता देता है, लेकिन समाज उन्हें संपत्ति, शिक्षा, रोजगार, विवाह और सार्वजनिक जीवन में समान निर्णय-क्षमता नहीं देता, तो संवैधानिक अधिकार अधूरे रह जाते हैं। अम्बेडकर की संवैधानिक नैतिकता इसी दूरी को कम करने की मांग करती है।

महिला अधिकारों की इक्कीसवीं सदी की चुनौती बहुस्तरीय है। पहली चुनौती है—कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वीकृति के बीच अंतर। कानून में समानता है, लेकिन घरेलू जीवन, विवाह, उत्तराधिकार और श्रम-विभाजन में पितृसत्ता बनी हुई है। दूसरी चुनौती है—राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। महिला मतदाता के रूप में सक्रिय है, परंतु विधायिका और दलगत नेतृत्व में उसका स्थान अभी सीमित है। तीसरी चुनौती है—आर्थिक भागीदारी की गुणवत्ता। LFPR में वृद्धि हुई है, परंतु सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार की समस्या बनी हुई है।

चौथी चुनौती है—लैंगिक हिंसा और न्याय-प्रवेश। NCRB के आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि हिंसा महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करती है [13]। पाँचवीं चुनौती है—अंतर्विभेदी असमानता। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ग्रामीण, गरीब और दिव्यांग महिलाओं की समस्याएँ अलग-अलग प्रकार की सामाजिक बाधाओं से निर्मित होती हैं। विश्व बैंक की लैंगिक समानता रिपोर्ट ने भी विकास में लैंगिक समानता को आर्थिक दक्षता और सामाजिक न्याय दोनों से जोड़ा है [21]। UNESCO की लैंगिक शिक्षा रिपोर्ट शिक्षा में समानता को सामाजिक समावेशन का केंद्रीय आधार मानती है [22]। इस प्रकार वैश्विक विकास-विमर्श और अम्बेडकरवादी न्याय-दृष्टि दोनों यह मानते हैं कि महिला अधिकारों की पूर्ति केवल कानून से नहीं, बल्कि अवसर-संरचना के विस्तार से होती है।

ज्याँ द्रेज़ और अमर्त्य सेन ने भारतीय विकास की असमानताओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसरों की कमी से जोड़ा है [23]। इस अध्ययन के संदर्भ में उनका तर्क यह स्पष्ट करता है कि महिला अधिकारों को केवल दंडात्मक या कल्याणकारी नीति से नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के संयुक्त ढाँचे में रखना होगा। अम्बेडकरवादी दृष्टि इसी संयुक्त संरचना की माँग करती है।


© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

## 9. नीतिगत सुझाव

1. महिला अधिकारों को केवल कानून-निर्माण तक सीमित न रखकर क्रियान्वयन-आधारित नीति में बदला जाए। पुलिस, न्यायालय, विधिक सहायता, वन-स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन की जवाबदेही मजबूत की जानी चाहिए।

2. संविधान के 106वें संशोधन को समयबद्ध रूप से लागू करने के लिए स्पष्ट प्रशासनिक और राजनीतिक रोडमैप बनाया जाए। राजनीतिक दलों को टिकट-वितरण, दलगत पदों और संसदीय समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए।

3. महिला श्रम-भागीदारी को सम्मानजनक रोजगार में बदलने के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ, क्रेच, सुरक्षित परिवहन और कार्यस्थल उत्पीड़न-निवारण तंत्र को प्रभावी बनाया जाए।

4. महिला शिक्षा को अधिकार-बोध, विधिक साक्षरता और आर्थिक कौशल से जोड़ा जाए। विद्यालयों और महाविद्यालयों में संवैधानिक नैतिकता, लैंगिक समानता और अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय को पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाए।

5. संपत्ति-अधिकार और वित्तीय स्वायत्तता को महिला अधिकारों की केंद्रीय नीति बनाया जाए। बैंक खाता, ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान और उद्यमिता प्रशिक्षण को महिला की वास्तविक आर्थिक निर्णय-क्षमता से जोड़ा जाए।

6. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ग्रामीण और दिव्यांग महिलाओं के लिए अंतर्विभेदी नीति-दृष्टि अपनाई जाए, क्योंकि समान नीति सभी महिलाओं को समान परिणाम नहीं देती।

## 10. निष्कर्ष

भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, गरिमा, अवसर-समानता, सकारात्मक संरक्षण, श्रम-सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का व्यापक आधार दिया है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का न्यायवादी दृष्टिकोण इस संवैधानिक संरचना की वैचारिक आत्मा है। उन्होंने न्याय को केवल विधिक औपचारिकता नहीं माना, बल्कि सामाजिक जीवन के लोकतंत्रीकरण, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और वंचितों के आत्मसम्मान से जोड़ा।

इक्कीसवीं सदी में महिला अधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। महिला शिक्षा और श्रम-भागीदारी बढ़ी है, वित्तीय पहुँच में सुधार हुआ है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक आधार मजबूत हुआ है। फिर भी लैंगिक हिंसा, प्रतिनिधित्व की कमी, रोजगार की असुरक्षा, संपत्ति-अधिकार की कमजोरी और सामाजिक पितृसत्ता जैसी चुनौतियाँ स्पष्ट रूप से बनी हुई हैं।

अतः भारतीय संविधान और अम्बेडकरवादी न्याय-दृष्टि को केवल ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान नीति-निर्माण की सक्रिय दिशा के रूप में समझना होगा। महिला अधिकारों की वास्तविकता तब बनेगी जब संवैधानिक समानता सामाजिक व्यवहार, संस्थागत कार्यप्रणाली और


© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

आर्थिक अवसरों में दिखाई दे। यही अम्बेडकर के न्यायवादी दृष्टिकोण की इक्कीसवीं सदी में सबसे बड़ी प्रासंगिकता है।

## संदर्भ सूची

1. भारत सरकार। भारत का संविधान. विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, नवीनतम संस्करण।
2. अम्बेडकर, बी. आर. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 1. शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, 1979।
3. अम्बेडकर, बी. आर. जाति का विनाश. जालंधर: भीम पत्रिका पब्लिकेशन्स, 1936।
4. अम्बेडकर, बी. आर. कास्ट्स इन इंडिया: देयर मेकैनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट. कोलंबिया विश्वविद्यालय, 1916।
5. रेगे, एस. अगेन्स्ट द मैडनेस ऑफ मनु: बी. आर. अम्बेडकर'स राइटिंग्स ऑन ब्राह्मणिकल पैट्रिआर्की. नई दिल्ली: नवयाना, 2013।
6. पाइक, एस. दलित वीमेंस एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया: डबल डिस्क्रिमिनेशन. लंदन: रूटलेज, 2014।
7. ओमवेट, जी. अम्बेडकर: टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड इंडिया. नई दिल्ली: पेंगुइन, 2004।
8. जेलियट, ई. फ्रॉम अनटचेबल टू दलित: एसेज ऑन द अम्बेडकर मूवमेंट. नई दिल्ली: मनोहर, 1992।
9. अम्बेडकर, बी. आर. "हिंदू कोड बिल।" डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 14. डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, भारत सरकार।
10. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। भारत में महिलाओं के लिए महत्त्वपूर्ण संवैधानिक और विधिक प्रावधान. नई दिल्ली।
11. भारत सरकार। संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023. भारत का राजपत्र, 2023।
12. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। "18वीं लोकसभा की प्रोफाइल।" नई दिल्ली, 2024।
13. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। भारत में अपराध 2023. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2025।
14. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2025. नई दिल्ली, 2026।
15. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्ली, 2020।
16. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2021–22. नई दिल्ली, 2024।


© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

17. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। यू-डाइस प्लस रिपोर्ट 2024–25. नई दिल्ली, 2025।

18. सेन, ए. डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।

19. नुसबॉम, एम. सी. वीमेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट: द कैपेबिलिटीज अप्रोच. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000।

20. इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और आईसीएफ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-5, 2019–21: भारत. मुंबई: आईआईपीएस, 2021।

21. विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट 2012: लैंगिक समानता और विकास. वॉशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक, 2012।

22. यूनेस्को। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट: जेंडर रिपोर्ट. पेरिस: यूनेस्को, 2022।

23. द्रेज, जे., और सेन, ए. एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स. नई दिल्ली: ऐलन लेन, 2013।


© Copyright @ Authors